विलोपित विलोपित

252

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. निगरानी/2017–विदिशा R 4-I-17

श्री ... द्वारा आज दि. 2-1-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 2-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कमलसिंह पुत्र सोमत सिंह मेना निवासी ग्राम– पिपरिया दौलत कृषक रहमानपुर तह. त्योंदा जिला विदिशा म.प्र.

..............निगरानीकर्ता

बनाम

भगवान सिंह पुत्र दयाराम कुर्मी निवासी– ग्राम रहमानपुर तह. त्यौंदा जिला विदिशा म.प्र.

............अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसीलदार त्यौदा जिला विदिशा प्र.क्र. 14/A–90/15–16 भगवान सिंह कमल सिंह आदेश दिनांक 05.07.2016 जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 04.11.2016 को प्राप्त हुई।

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार पेश है :–

यहकि, अनावेदक ने विवादित आराजी का सीमांकन आवेदन पत्र तहसीलदार त्यौदा के यहां देकर सीमांकन कराया उस सीमांकन कार्यवाही में निगरानीकर्ता को बिना पक्षकार/बिना सूचना के एक तरफा आदेश करा कर निगरानीकर्ता की स्वअर्जित आराजी को सीमांकन में करा कर फिर सीमांकन आदेश के आधार पर कब्जा की कार्यवाही अनावेदक ने तहसील न्यायालय त्यौदा विदिशा के यहां चालू कर दी जब हमको नोटिस गया तब जानकारी मामले (प्रकरण) की हुई तब हमने उक्त प्रकरण की नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 1.11.2016 को लगाया दिनांक 04.11.2016 को नकल प्राप्त की नकल प्राप्ती दिनांक से यह निगरानी आवेदन पत्र समय सीमा में होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

निरंतर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ---------

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4–एक/17 जिला विदिशा

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि आदि के हस्ता.
20-1-17	यह निगरानी तहसीलदार त्योंदा जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 14 अ– 70/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–7–16 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा तहसीलदार त्योंदा जिला विदिशा के अंतरिम आदेश दिनांक 5–7–16 का अवलोकन किया गया। तहसीलदार त्योंदा ने अंतरिम आदेश दिनांक 5–7–16 से अनावेदक की भूमि पर आवेदक का कब्जा पाये जाने से संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकरण दायर किया है एंव अनावेदक को तलब करने के आदेश दिये है । स्पष्ट है कि आवेदक को तहसीलदार के समक्ष पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार की सहायता दिया जाना उचित नहीं है। फलस्वरूप निगरानी प्रचलन–योग्य न पाये जाने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है। सदस्य	